

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/इएम/एल -8000663.2

Licence No. CRO/EM/L-8000663.2

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies

मैसर्स व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर - 482 009 (म.प्र.) M/s Vehicle Factory, Jabalpur- 482 009 (MP)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रिजस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस/आई एसओं 14001:2015 के अनुरूप पर्यावरण प्रबंध पद्धिति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रद्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Environmental Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Environmental Management Systems in accordance with

IS/ISO 14001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले <mark>उपरोक्त अधि</mark>नियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरों को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है ।

The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 05 अगस्त 2021 से 14 मई 2023 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार **नवीकरण** किया जा सकेगा ।

This licence shall be valid from **05** August **2021** to **14** May **2023** and may be **recertified** as prescribed in the Regulations.

2021 के अगस्त माह के पांचवां दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराँकित Signed, Sealed and dated this Fifth day of August 2021.

(Dr R K Tyagi) Deputy Director General (Central) भारतीय मानक ब्यूरो के लिए For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last certification expiry date 14 May 2020 Changeover audit Date 16-19 Mar 2021

* Recertification Due Date 14 May 2023



